संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षण मानकों की अपेक्षा है कि रिपोर्टिंग के लिए भौतिकता स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान होगा।

अध्याय 2, 3 और 4 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं तथा अध्याय 5 में सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

(अनुच्छेद 1.1, पृष्ठ 1)

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

वित्त विभाग

जिला योजना स्कीम

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण ने काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। जिला योजना (डीपी) गठित करने का मूल विचार पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों को क्षेत्र योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को शामिल करना था। इस प्रक्रिया से संसाधनों का कुशल उपयोग, विकास से लाभों का समान बंटवारा और स्थानीय निकायों को अधिकार देने शामिल था। हरियाणा में वर्ष 2008-09 में, राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए जिला योजना स्कीम शुरू की गई थी। "जिला योजना" राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (डीईएसए), हरियाणा में चल रही विकास योजना है। 2018-19 से 2020-21 तक के प्रगतिशील वर्षों में आबंटित राशि में उल्लेखनीय गिरावट अर्थात् 2018-19 में ₹ 700 करोड़ से 2020-21 में ₹ 200 करोड़ आई है। यह गिरावट विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर आबंटित धनराशि का उपयोग करने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। जिला योजनाएं तैयार की गईं और काफी विलंब से मुख्यालय को भेजी गईं जिससे कार्य प्रारंभ होने में विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप निधियां व्यपगत हुई। विभिन्न मुख्य योजना एवं विकास अधिकारियों को उनकी वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना और उस अंतर्निहित उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त और

विवेकाधीन आधार पर निधियां आबंटित की गई थी जिसके लिए निधियों का उपयोग करना अपेक्षित था। निधियों के व्यपगत होने के कारण मुख्य रूप से कार्यों की व्यवहार्यता अध्ययन करने से पहले या बिना निधियों की स्वीकृति के की गई, निधियों को विलंब से जारी करना, अन्य योजना के अंतर्गत पहले से किए गए कार्य, विवादित साईट आदि थे। निगरानी के अभाव के कारण इस योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं होने वाले कार्यों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया है।

(अनुच्छेद 2.1, पृष्ठ 7)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क के हिस्से के रूप में उद्गृहीत नगरपालिका शुल्क का अंतरण

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग; नगर निगम, गुरुग्राम, रोहतक, यमुनानगर; हरियाणा सरकार के वित्त विभाग और स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के निदेशालय में 2016-21 की अवधि के लिए आयोजित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रयोजन नगरपालिका उद्ग्रहण के संबंध में नगर निकायों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, लेखांकन तंत्र, राजस्व विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, संबंधित नगर निकायों और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय के मध्य नगरपालिका उद्ग्रहण की मिलान प्रक्रिया, संबंधित नगर निकायों को नगरपालिका उद्ग्रहण के अंतरण पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (नगर निगमों के प्राथमिक लेखापरीक्षक) में तंत्र की समीक्षा करना था। यह देखा गया है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान नगर निकायों के कारण वर्ष के अंत में बकाया नगरपालिका उद्ग्रहण ₹ 663.35 करोड़ (मार्च 2018 के अंत में) से ₹ 2,178.98 करोड़ (मार्च 2021 के अंत तक) के मध्य था। नगर निकायों को निधियों के हस्तांतरण में विलंब था तथा राज्य सरकार की विभिन्न कार्यक्षमताओं द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रियाओं में कमियां/आंतरिक नियंत्रण का अभाव देखा गया था।

(अनुच्छेद 3.1, पृष्ठ 23)

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का कार्यान्वयन

अनुचित पहचान, गैर-सत्यापन तथा पीएम-किसान योजना की निगरानी में चूक के कारण राज्य सरकार के पेंशनरों को ₹ 131.40 लाख के लाभ वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, आयकरदाताओं और अयोग्य लाभार्थियों को वितरित की गई राशि की वसूली नहीं हुई, परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ दिए गए, जिन लाभार्थियों के पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें लाभ दिया गया, मृतक लाभार्थियों को लाभ दिया गया, ₹ 420.38 लाख की राशि के प्रशासनिक व्यय की प्राप्ति नहीं हुई, भौतिक सत्यापन हेतु लंबित लाभार्थियों को लाभ जारी किए गए, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना नहीं हुई तथा भौतिक सत्यापन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

(अनुच्छेद 4.1, पृष्ठ 33)

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 5 में सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

₹ 2.76 करोड़ का गबन

हरियाणा सरकार के ई-वेतन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन में सिस्टम की कमियों तथा खजाना कार्यालय की ओर से लापरवाही के कारण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी के अधिकारियों ने प्राप्तकर्ता कर्मचारियों के यूनीक कोड में हेरफेर किया और ₹ 2.76 करोड़ का गबन किया।

(अनुच्छेद 5.1, पृष्ठ 45)

स्टॉक और वस्तुसूची प्रबंधन

स्टॉक लेनदेन के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन था। स्टॉक सस्पेंस के लेखांकन वर्गीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसके कारण कार्य प्रारंभ किए बिना या बंद किए गए कार्यों के लिए व्यय की बुकिंग हुई। ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली का प्रयोक्ता मैनुअल अद्यतन नहीं किया गया था। कोडल प्रावधानों के अनुसार स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अप्रयुक्त माल लंबे समय से स्टोर में पड़ा था और खराब/स्क्रैप मदों की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका था। अप्रचलित या खराब मदों का निपटान नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 5.2, पृष्ठ 48)

ठेकेदार को न किए गए कार्य हेतु अनियमित एवं अधिक भुगतान

कार्यों की मदों को वास्तविक आधार पर दर्ज न करने और गलत ढंग से प्रमाणित करने के कारण, अनियमित अधिक भुगतान के कारण एजेंसी से ₹ 2.53 करोड़ की राशि वसूलनीय थी।

(अनुच्छेद 5.3, पृष्ठ 56)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

अधूरे छोड़े गए कार्यों पर निष्फल व्यय तथा एजेंसी से वसूलनीय राशि

दो वर्ष की अवधि के बाद अनुबंध को निरस्त करने के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के उत्तरदायी अधिकारियों के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुबंध की समाप्ति के बाद नई निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई न करने के कारण कार्यों पर ₹ 179.25 लाख का व्यय निष्फल हो गया तथा ₹ 12.37 लाख के परिसमापक हानि की वसूली तथा ₹ 40.53 लाख के शेष कार्य की 20 प्रतिशत पेनल्टी अभी भी लंबित है।

(अनुच्छेद 5.4, पृष्ठ 58)

अयोग्य एजेंसी को कार्य का आबंटन तथा बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि एवं पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु संविदा के मूल्य के कम निर्धारण के कारण ₹ 2.15 करोड़ की वसूली न होना

विभाग ने बोली की शर्तों का उल्लंघन किया, अयोग्य बोलीदाताओं को कार्य सौंपा और किसी भी समय एजेंसी द्वारा निकाले गए पत्थर के मूल्य को ₹ दो करोड़ तक सीमित करने के प्रमुख अभियंता के विशिष्ट आदेशों की अवहेलना की। बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी की गणना उचित नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ मूल्य के बचे हुए कार्य के लिए परिसमापक हानि तथा पेनल्टी के संबंध में अनुचित लाभ दिया गया।

(अनुच्छेद 5.5, पृष्ठ 60)

संविदा समाप्त न होने से ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ

अविवेकपूर्ण समय विस्तार के कारण सोनीपत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण में असामान्य विलंब तथा परिसमापक हानि की पेनल्टी और ब्याज की हानि के साथ शेष कार्य की पेनल्टी के रूप में संविदा को निरस्त न किए जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 26.46 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(अनुच्छेद 5.6, पृष्ठ 63)

लोक निर्माण विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

निविदा आबंटन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं

निविदा आबंटन समिति ने गैर-पारदर्शी ढंग से कार्य किया और बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता से समझौता करने वाले योग्य बोलीदाताओं को शामिल नहीं किया, विभिन्न निविदाओं में विभिन्न मानकों का इस्तेमाल किया, मानक बोली दस्तावेज में निहित मौजूदा निर्देशों और प्रावधानों के साथ असंगत निर्णय लिया।

(अनुच्छेद 5.7, पृष्ठ 67)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रियाओं का पालन न करने के परिणामस्वरूप विकास कार्यों के कारण ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

प्राक्कलनों के अनुमोदन के बिना निर्धारित ई-निविदा प्रक्रिया की उपेक्षा करके ठेकेदार को कार्यों का आबंटन, ठेकेदार के नाम में मामूली बदलाव से आबंटन की पुनरावृत्ति, लेकिन एक ही टिन नंबर और व्यवसाय का स्थान होने से नगर निगम फरीदाबाद को ₹ 23.80 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इन भुगतानों के विरुद्ध कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उसी ठेकेदार को ₹ 183.83 करोड़ की राशि उचित दस्तावेज के बिना वितरित की गई थी जो कमजोर आंतरिक और वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 5.8, पृष्ठ 74)

स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग

साईट को अंतिम रूप देने में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण ₹ 3.39 करोड़ की अधिक लागत तथा ₹ 48.89 लाख का निष्फल व्यय

राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल की स्थापना में तीन वर्ष का विलंब होने के कारण राज्य की सामान्य जनता एवं विद्यार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करने के अलावा राजकोष पर ₹ 3.88 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

(अनुच्छेद 5.9, पृष्ठ 78)

उच्च शिक्षा विभाग

पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितताओं के कारण ₹ 92.58 लाख का परिहार्य व्यय

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 149 राजकीय कॉलेजों के लिए कम छूट दर पर ₹ चार करोड़ की पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय में अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹ 79.96 लाख का परिहार्य व्यय एवं क्रय गतिविधि में लापरवाही के कारण ₹ 12.62 लाख की अतिरिक्त हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.10, पृष्ठ 80)

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग

अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान - ₹ 41.30 करोड़

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों के वितरण के संबंध में हरियाणा खेल एवं शारीरिक फिटनेस नीति के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप नीति का उल्लंघन हुआ तथा विभाग द्वारा अयोग्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का अनियमित भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 5.11, पृष्ठ 83)

तकनीकी शिक्षा विभाग

कैरियर उन्नति योजना के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अस्वीकार्य भुगतान - ₹ 14.75 करोड़

विपथित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली को अपनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के उल्लंघन में कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप ₹ 14.75 करोड़ के वेतन एवं भत्तों का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 5.12, पृष्ठ 86)

वित्त विभाग

पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के भुगतान में अनियमितताएं

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के कारण राज्य की संचित निधि में से ₹ 9.56 करोड़ का अधिक/अनियमित भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ खजाना एवं लेखा विभाग की ओर से कमियों को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 5.13, पृष्ठ 91)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे तथा दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हानि

भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के कम दावे के कारण ₹ 1.20 करोड़ की हानि तथा केंद्रीय सहायता के विलंबित दावों के कारण ₹ 7.30 करोड़ के ब्याज की हानि।

(अनुच्छेद 5.14, पृष्ठ 94)

वन विभाग

परिहार्य अतिरिक्त व्यय के साथ राजस्व की हानि

जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी के निपटान में वन विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹ 22.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई और जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी की निगरानी पर ₹ 96.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 5.15, पृष्ठ 96)

गृह विभाग

अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों पर अनियमित व्यय

नियमों के उल्लंघन में होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 50 से 58 वर्ष तक बढ़ाने के कमांडेंट जनरल के अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप अयोग्य होमगार्ड स्वयंसेवकों को ₹ 10.30 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 5.16, पृष्ठ 99)

हरियाणा पुलिस आवास निगम

परिहार्य व्यय

कार्य के आबंटन के 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहने वाले एल1 के स्वीकृति-पत्र को रद्द करने में देरी के कारण 120 दिनों की निविदा वैधता अवधि समाप्त हो गई। परिणामत:, एल2 को उसकी बोली से बाध्य नहीं किया जा सका जो कि एल1 से थोड़ा अधिक थी और इसके परिणामस्वरूप नई निविदाएं आमंत्रित करने और उच्च दर पर कार्य के आबंटन के कारण ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 5.17, पृष्ठ 101)